जयपुर . रविवार . 22 फरवरी 2015 SUNDAY फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी, संवत् 2071

य एषु सुप्तेषु जागर्ति

patrika.com

राजस्थान पत्रिका

राज्यसभा में बिल पारित कराने में अड़चन

बहुमत की दरकार पंगु हुई सरकार

कई दशक बाद केन्द्र में बनी बहुमत की सरकार अजीब विडंबना से गुजर रही है। नरेन्द्र मोदी की राजग सरकार लोकसभा में जितनी मजबूत दिखाई दे रही है, राज्यसभा में उतनी ही मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि वर्ष 2019 तक (यानी इस सरकार का पूरा कार्यकाल) राजग को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होने वाला। यह दुविधा सरकार को पहले साल से ही परेशान करने लगी है। संसद के ऊपरी सदन में अल्पमत की मजबूरी के चलते ही सरकार अब तक आठ अध्यादेश लाने को मजबूर हुई है। अब सरकार के सामने इन अध्यादेशों को संसद में पारित कराने का संकट मुंह बाये खड़ा है। सरकार के रणनीतिकार छोटे विपक्षी दलों को साधकर राज्यसभा में अस्थाई बहुमत के जुगाड़ में लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री कभी महाराष्ट्र जाकर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के साथ मंच साझा कर रहे हैं तो कभी मुलायम के पोते के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। ऐसी भाग-दौड़ के बीच क्या सरकार मजबूती से फैसले ले पाएगी? क्या समय की मांग के हिसाब से कानून बन पाएंगे? क्या कहते हैं जानकार, पढ़िए इस सण्डे जैकेट में।

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ पत्रकार

लोकसभा में पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है। फिलहाल आने वाले कुछ वर्षों में राज्यसभा में स्थिति बदलने वाली भी नहीं है। जहां तक बजट का सवाल है, उसे तो हर परिस्थिति में पारित हो ही जाना है। परेशानी तो यह है कि अन्य कानूनों को क्या होगा? क्या सरकार उन्हें पारित करवा सकेगी? सरकार के पास एक ही उपाय है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ले और इस तरह से बहुमत के आधार पर विधेयक पारित करवा ले। लेकिन, बार-बार ऐसा हो पाना संभव नहीं लगता इसलिए सरकार कुछ नरम पड़ती लग रही है।

सोमवार से बजट सत्र

- **23 फरवरी :** राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण।
- **24,25 फरवरी :** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।
- **26 फरवरी :** रेल बजट
- **27 फरवरी :** आर्थिक सर्वेक्षण
- **28 फरवरी :** आम बजट

कहीं पर निगाहें, कहीं निशाना

सरकार के रवैये में नरमी के संकेत हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक विरोधी रहे दलों के नेताओं के साथ बढ़ते मेलजोल से मिल रहे हैं। वे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के पोते की शादी के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए। उधर, प्रधानमंत्री मोदी बारामती में शरद पवार के इलाके में भी गए। उनकी ओर से भाजपा को बिना शर्त समर्थन की बात पहले ही की जा चुकी है। इसी तरह टीआरएस भी एनडीए का हिस्सा बनने की इच्छुक है। अलबत्ता यह जरूर है कि इससे तेलुगूदेशम को दिक्कत होगी।

तृणमूल पर भी डोरे

पिछले सत्र में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध और इस सत्र में संभावित विरोध का सवाल है तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ममता बनर्जी ने टीएमसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बनाया है। त्रिवेदी पिछले दिनों वाइब्रेंट गुजरात में भाग लेने के लिए गए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति नरम तेवर ही नहीं रखे बल्कि उनके कार्यों की प्रशंसा भी की।

भाजपा को भूमि अधिग्रहण के संशोधन कानून के लिए लाये गए अध्यादेश पर बहुत आलोचना झेलनी पड़ी है। यह संभावना अधिक है कि सरकार इस मामले पर कुछ फेर-बदल के लिए तैयार हो जाए और कुछ विपक्षी दलों का समर्थन हासिल कर ले। पढ़ें तृणमूल @ पेज 09

क्यों है दोनों सदनों में बहुमत जरूरी

सरकार को नए कानून बनाने होते हैं और समय एवं परिस्थिति के हिसाब से पुराने कानूनों में संशोधन भी करना होता है। इसके लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में बिल पारित करवाना पड़ता है। कोई भी सदन बहुमत के आधार पर बिल को अटका सकता है।

121
है फिलहाल राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी राजग सरकार को लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त है लेकिन राज्यसभा में वह अल्पमत में है।

2019 तक ज्यादा नहीं बदलेगी स्थिति

अगले लोकसभा चुनाव तक राज्यसभा में राजग अपनी स्थिति तो सुधार सकता है लेकिन बहुमत शायद ही मिल पाए।

- **60** सांसद ही हैं राजग के राज्यसभा में। इनमें 46 सांसद भाजपा के हैं।
- **130** सांसद हैं विपक्षी खेमे के। इनमें से 67 कांग्रेस और 15 सपा के।
- **40** सांसद अन्नाद्रमुक, द्रमुक, टीआरएस, बसपा, बीजद और राकांपा के हैं जो किसी के भी साथ जा सकते हैं।

2016 में कुछ राहत

अगले वर्ष एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा, तब राजग की स्थिति कुछ सुधर सकती है।

नामांकित बदलेंगे

राज्यसभा में 12 नामांकित सदस्य भी हैं। इनमें से दो का इसी वर्ष नवम्बर में और सात का कार्यकाल 2016 में समाप्त हो जाएगा। नए लोग नामांकित होंगे।

संयुक्त अधिवेशन भी रहेगा एक विकल्प

जैकेट डेस्क

अध्यादेश और छह महीने

मोदी सरकार ने अपने 225 दिनों के शासनकाल में अब तक कुल आठ अध्यादेश जारी किए हैं। ये छह महीने में संसद में पारित होने जरूरी हैं।

बजट सत्र सरकार के लिए अनेक दृष्टियों से चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सरकार के ऊपर एक तरफ तो लोकलुभावन बजट पेश करने और महंगाई से राहत दिलाने वाला बजट पेश करने की चुनौती है तो दूसरी तरफ आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की अपेक्षा भी एक बड़े वर्ग को सरकार से है। विकास और आर्थिक प्रगति के मुद्दे पर सत्ता में आई मोदी सरकार को लोग अब और समय देने के इच्छुक नहीं हैं। दिल्ली के चुनाव परिणाम से भी इसके संकेत मिल चुके हैं। पर सरकार आर्थिक प्रगति के मार्ग पर निर्बाध आगे बढ़ सके इसके लिए जरूरी है कि वह कानूनों में जरूरी संशोधन भी करे। इस दिशा में सरकार द्वारा शीत सत्र में किए गए प्रयास राज्यसभा में हंगामे की भेंट चढ़ गए थे। स्थिति अब भी बदली नहीं है और आगामी चार वर्षों तक कमाबेश यही स्थिति रहने की संभवाना है। कई अध्यादेशों और विधेयकों को राज्यसभा से पारित किया जाना है पर सरकार के पास संसद के इस उच्च सदन में जरूरी बहुमत नहीं है। ऐसे में गतिरोध तो तय है। दो ही स्थितियां संभव है। या तो सरकार संबंधित विधेयकों पर राज्यसभा में विपक्ष के संशोधनों को स्वीकार कर ले या फिर विधेयक

सरकार भूमि अधिग्रहण, कोयला अध्यादेश आदि को बजट सत्र में कानून की शक्ल नहीं दे पाई तो उसके लिए नई मुश्किलें पैदा हो जाएंगी क्योंकि, ये अध्यादेश इसी वर्ष अप्रेल के दूसरे सप्ताह में समाप्त हो जाएंगे। यही कारण है कि सरकार के रणनीतिकार कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को मनाने में लगे हैं। सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में कांग्रेस के कुछ संशोधन मानने के संकेत भी दे रही है।

अस्वीकृत हो जाएं। अस्वीकृत होने पर सरकार के पास एक ही विकल्प बचता है - दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। संविधानविद सुभाष कश्यप का मानना है कि उच्च सदन में विधेयक अस्वीकृत होने की स्थिति में सरकार के पास यह विकल्प होता है कि वह राष्ट्रपति से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की अनुशंसा करे। कश्यप के अनुसार इसके अतिरिक्त सिर्फ दो और स्थितियां ही ऐसी हो सकती हैं जबकि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक तो तब जबकि दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर पूर्ण असहमति हो। दूसरी स्थिति तब हो सकती है जबकि विधेयक एक सदन से पारित होकर छह माह तक दूसरे सदन में आए ही नहीं। पढ़ें संयुक्त @ पेज 09

पहला सत्र
वर्तमान लोकसभा का पहला सत्र बहुत अच्छा चला था। उपलब्ध समय का 104 फीसदी कामकाज हुआ।

दूसरा सत्र
शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में तो काम हुआ लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 54 फीसदी ही काम हुआ।

अब?
दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद विपक्ष में नई ऊर्जा आई है। हंगामा अधिक होने के आसार।

पहले जैसे न बनें हालात

61 फीसदी
ही काम हुआ 15 वीं लोकसभा में

- **179** बिल ही पारित हो पाए थे। पेश हुए थे 328 बिल।
- **36%** बिल तो एक घंटे से भी कम वक्त की बहस में पारित हो गए थे।
- **23%** बिल ही तीन घंटे से अधिक बहस के बाद पारित हुए थे।
- **68** बिल तो लैप्स हो गए थे लोकसभा भंग होने के साथ।
- **39** फीसदी समय हंगामे की भेंट चढ़ गया था पिछली लोकसभा में।

व्यवधान न हो तो काम बने

लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कहती हैं कि स्पीकर होने के नाते मेरा काम सदन को शांति और सबके सहयोग से चलाने का रहता है। कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक सकारात्मक चर्चा हो। सदस्यों को बोलने का मौका मिले। खासतौर पर प्रश्नकाल में हर सदस्य की कोशिश रहती है कि वह सदन में अधिक से अधिक बोल सके। अपने संसदीय क्षेत्र और राज्य से संबंधित सवाल उठा सके। मेरा मानना है कि प्रश्नकाल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें सदस्य सरकार से सवाल पूछ कर जानकारी ले सकता है। पढ़ें व्यवधान @ पेज 09

मनमानी का विरोध करेंगे

कांग्रेस इस सरकार की मनमानी का विरोध करती रहेगी। मौजूदा सरकार लगातार कई ऐसे फैसले कर रही है जो पूरी तरह से किसान व आम आदमी के हितों के खिलाफ हैं।
मनु अभिषेक सिंघवी, प्रवक्ता, कांग्रेस

सरकार गिरा रही है गरिमा

भाजपा खुद अध्यादेश लाकर संसद की गरिमा गिरा रही है और विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वह संसद की गरिमा को गिरा रहा है। यह बहुत अतार्किक बात है।
वृंदा करात, सांसद, माकपा

रचनात्मक सहयोग की उम्मीद

बहुत से मुद्दे हैं, जिन पर देश हित में चर्चा होनी है। हमें अपेक्षा है कि राज्यसभा में विपक्ष का रचनात्मक सहयोग मिलेगा, अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।
विजय शंकर शास्त्री, प्रवक्ता भाजपा

भाजपा भी यही करती रही है

पिछले सत्र में विरोध करके हमने कोई नई बात नहीं की। भाजपा ने भी पिछली संसद में ऐसा ही किया था। आगे की रणनीति बजट के बाद तय करेंगे।
रेणुका सिन्हा, सांसद, तृणमूल कांग्रेस

अब बातें करने से नहीं बनेगा माहौल

क्रियान्वयन है बड़ी चुनौती

पार्थ जे शाह
अध्यक्ष, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी

> अनुभवी विशेषज्ञों का अभाव है जो कि विचारों-नीतियों को अमलीजामा पहना सकें। साथ ही ऐसे लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है जो कि क्रियान्वयन में बाधक हो रहे हैं।

सरकार के सामने आर्थिक सुधारों की राह पर आगे बढ़ते रहने की चुनौती तो है पर उससे अधिक बड़ी चुनौती यह है कि सरकार जो कदम उठा रही है, जो नीतियां बना रही हैं, जो बातें कर रही है उनको क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। सरकार के पास ऐसे सक्षम और अनुभवी विशेषज्ञों का अभाव है जो कि उसकी नीतियों को अमलीजामा पहना सकें। साथ ही सरकार उन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है जो कि क्रियान्वयन के लिए जरूरी माहौल पैदा करने में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। संसद के शीत सत्र का सुचारु संचालन बाधित होने का बड़ा कारण यही रहा है। इसके बाद सरकार को अध्यादेशों का सहारा लेना पड़ा। एक लोकतंत्र में अध्यादेश पर ऐसी निर्भरता किसी सरकार के लिए उचित नहीं कही जा सकती।

सरकार को अगर लोगों से किए गए सुधारों के वादों को पूरा करना है तो उसे कृषि, उपभोक्ता, खाद्य आदि से जुड़ी सब्सिडी का स्वरूप तत्काल बदलना चाहिए। वर्तमान में सब्सिडी का जो स्वरूप है उससे उस कमोडिटी या सेवा विशेष का बाजार ही नष्ट हो जाता है। 'धीरे-धीरे करेंगे' की सोच से अगर सरकार चलती रही तो फिर सारा समय निकल जाएगा। सरकार को चाहिए कि वर्तमान में 'लागत सहायता' के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी को 'आय सहायता' जैसे कैश ट्रांसफर के रूप में बदले। इससे बाजार में तो किसी वस्तु या सेवा का दाम तो बाजार से ही तय होगा पर सरकार कैश ट्रांसफर के माध्यम से वंचित समूहों की आय बढ़ाने में योगदान कर सकती है।

इसी तरह से वर्तमान भू अधिग्रहण अध्यादेश या कानून का समर्थन नहीं किया जा सकता। सरकार को इस विषय में कोई कानून बनाना ही नहीं चाहिए। पढ़ें क्रियान्वयन @ पेज 09

कानून निर्माण से समझौता न हो

असहमति हो पर हंगामा नहीं

पीडीटी आचारी
पूर्व महासचिव, लोकसभा

> हंगामे का बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है, जो तैयारी के साथ चर्चा में शामिल होने और सवाल पूछने आते हैं। इससे जनसमस्याएं भी सामने नहीं आ पातीं।

संसद के दो ही मुख्य काम होते हैं- एक कानून बनाना और दूसरा बजट पास करना। अगर ये दोनों काम ही बाधित होने लगें और कामकाज की बजाय हंगामा हावी होने लगे तो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था में बैठने वाले हमारे सांसदों को इस पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है पर हंगामे से समाधान नहीं निकलता। बेहतर हो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष साझा तौर पर हंगामे को त्यागकर कानून बनाने या चर्चाओं पर ज्यादा गौर करें। हालांकि ऐसे कई विधेयक होते हैं, जिन पर सहमति बन पाना मुश्किल होता है। मसलन, मौजूदा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून पर लाया गया संशोधन विधेयक। इस पर पिछले शीतकालीन सत्र में हंगामा हुआ और सरकार अध्यादेश ले आई। अब सरकार इसे संयुक्त सत्र में पारित कराती दिख रही है। पर इस रास्ते पर जाने की बजाय सभी दलों के साथ मुलाकात और सहमति बनाने से ही सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सहमति ही संसद की जान है। अगर इसे ही छोड़ देंगे तो संसद में काम की बजाय विरोध ज्यादा होगा। इससे सरकार को ही ज्यादा नुकसान होगा। इसका एकमात्र उपाय यही है कि प्रधानमंत्री इस स्थिति में ज्यादा तल्लीनता और सलाह-मशविरा पर काम करें। प्रधानमंत्री के सक्रिय होने से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। ऐसा मैंने सदन में अनुभव किया है। हंगामें रोकने के लिए भी प्रधानमंत्री सभी दलों को साथ मिलाकर एक स्टैंड बना सकते हैं। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री या अन्य मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री को ही सदन में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। पं. नेहरू सत्रों के दौरान सदन में ही रहते थे और सक्रिय भागीदारी निभाते थे। पढ़ें असहमति @ पेज 09